भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-114

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचार्य पद पर आरक्षण

†114. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति में आरक्षण प्रदान किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल प्राचार्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र हैं लेकिन उनकी नियुक्ति शून्य है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में उपलब्ध प्राचार्य के पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उक्त विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू करने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है, जिसका अभिशासन दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कुल 90 कॉलेज हैं और प्राचार्य का पद एकल कैडर का खुला पद है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित सभी श्रेणियों के योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति अध्यादेश *XXIV* के अंतर्गत उल्लिखित पात्रता मानदंड/योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अध्यादेश XVIII के खंड 7(2) के तहत चयन समिति की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा की जाती है। चयन समिति में अन्य सदस्यों के साथ-साथ एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग (पीडब्ल्यूडी) वर्ग का एक शिक्षाविद् शामिल होता है, ताकि इन वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

*****